अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,

व्यवहार न्यायालय बिरौल, जिला–दरभंगा, बिहार

TR-2610/2018 रहमती बेगम

25.03.19 CR-123/2017 नजराना प्रवीण

आवेदक अभियुक्त **1. परवेज अहमद खॉ उर्फ आइना बाबू 2. नवसाद खॉ उर्फ लगीना 3. आजाद खॉ 4. साहेबजान उर्फ फूलो** की ओर से वकालतनामा के साथ एक जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की प्रतिलिपि परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई है। आवेदन प्रचालित किया गया।

वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदकगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। आवेदक अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका कोई भी जमानत आवेदन वरीय न्यायालयों में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकों को दुश्मनी के कारण इस झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। प्रस्तुत वाद में धारा–379 भा0द0वि0 को छोड़कर शेष धारा जमानतीय है। धारा–379 भा0द0वि0 का अभियोग वाद को अजमानतीय बनाने के उद्‌देश्य से लगाया गया है। प्रस्तुत वाद जमालपुर थाना–39/17 का पलटा वाद है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

उभयपक्षों को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत परिवाद वाद में अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–323, 379 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया, जिसमें धारा 379 भा0द0वि0 अजमानतीय है। धारा 379 भा0द0वि0 का अभियोग किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध विशिष्ट नहीं है। अभियुक्तों ने स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तथा न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में आवेदकों की ओर से मो0 5000 x 2 रू0 के दो–दो प्रतिभूवों का जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

पश्चात्

26.03.2019 उपरोक्त आदेशानुसार आवेदक कुल **4** अभियुक्तों की ओर से जमानत बंधपत्र तथा प्रतिभूवों से संबंधित कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिसे जॉचोपरांत सही पाकर..............................किया जाता है। आवेदक अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को दिनांक 16.03.19 को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है।